न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः–31/2017 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2017/00177

उनवान

रूपवती पत्नी राधेश्याम जाति जाट निवासी मालौनी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

गुलाब पुत्र नवला जाति जाट निवासी मालौनी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
(मृतक)

1. करतारी पत्नी गुलाब
2. भूदेव
3. अर्जुन
4. पिंकी
5. सुमित्रा
6. डल्लो
7. पुनिया

पिसरान गुलाब

8. विशनू पुत्र गुलाब

जाति जाट निवासी मालौनी खुर्द तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 15.06.2017 उनवानी गुलाब सिंह बनाम रूपवती प्र0स0 132/2013

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार उपमन उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सुघड सिंह व जितेन्द्र कुमार अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–07.12.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 60 में प्रार्थी/रैस्पो0 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त आराजी प्रार्थी/रैस्पो0 के पिता गुलाब सिंह ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.1996 को महेन्द्र सिंह पुत्र रेवत जाति जाट निवासी मालौनी तहसील रूपवास से क्रय की थी तभी से प्रार्थी/रैस्पो0 विवादित आराजी को वहैसियत खातेदार मौके पर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु विक्रेता महेन्द्र सिंह ने प्रार्थी/रैस्पो0 की लाइल्मी में आराजी के 1/4 हिस्सा का इन्द्राज अपने नाम दर्ज करा लिया व बिना किसी विधिक अधिकार के आराजी का विक्रय पत्र बिना प्रतिफल के अप्रार्थी/अपीलाण्ट के नाम दिनांक 12.04.2004 को पंजीकृत करा दिया व प्रार्थी/रैस्पो0 की लाइल्मी में ही उसका नामान्तकरण भी अप्रार्थी/अपीलाण्ट के नाम दाखिल खारिज संख्या 332 से दर्ज कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करा दिया। अतः अप्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजी पर प्रार्थी/रैस्पो0 को खातेदार मानने से इंकार कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये अप्रार्थी/अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बाबजूद भी ना तो रैस्पो0 एवं ना ही उनके अभिभाषक हाजिर अदालत आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित हुआ है जिसमें अपीलाण्ट को सुनवाई व अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया। नियमानुसार राजस्व लोक अदालत में प्रकरण केवल राजीनामा के आधार पर ही निस्तारण किये जा सकते हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा होना प्रमाणित नहीं है। अपीलाण्ट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार दर्ज है और उनका ही कब्जा है। मुताबिक कानून एक खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में पारित किया है। जिसमें यह अंकित किया है कि वादी व प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी किये गये। परन्तु कोई उपस्थित नहीं आये। हम पाते हैं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई हेतु, कोई जारी शुदा नोटिस संलग्न नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत शिविर में मनमाने तरीके से लोक अदालत की भावना के विपरीत, उनकी अनुपस्थिति में, बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य सहमति/राजीनामा भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पक्षकारों की सहमति से प्रकरण राजस्व लोक अदालत में वास्ते निर्णय हेतु रखा जाकर निर्णित किया गया हो। राजस्थान सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति एवं सहमति से प्रकरण निस्तारण किये जावेंगें। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा सहमति/राजीनामा दिये जाने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है जो अत्यन्त सूक्ष्म एवं अस्पष्ट है। हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 सीपीसी की बहस हेतु निर्धारित था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया एवं ना ही मृतक प्रार्थी के विधिक वारिसान को ही रिकार्ड पर लिया एवं एक मृत व्यक्ति के पक्ष में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसे किसी प्रकार विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा फार्म संख्या 03 के साथ प्रस्तुत मुखत्यारनामा खास की फोटोप्रति पेश की गयी है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। परन्तु उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पो0 गुलाब सिंह के वारिसान एवं उनकी विधवा द्वारा अपीलाण्ट रूपवती पत्नी राधेश्याम को उक्त आराजी से सम्बन्धित समस्त कानूनी कार्यवाही किसी भी न्यायालय जैसे पैरवी करना, राजीनामा करना, दस्तावेज पेश करना, पक्ष रखना, तथा अन्य सभी न्यायिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार दिया जाना प्रकट है एवं इसी प्रकार हस्तगत अपील पत्रावली में रैस्पो0 गुलाब सिंह के पुत्र भूदेव द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का वयनामा दिनांक 12.04.2004 को मूल खातेदार महेन्द्र सिंह पुत्र रेवत जाति जाट द्वारा अपीलाण्ट रूपवती के हक मे करना एवं उक्त वयनामा के आधार पर नामान्तकरण भी स्वीकृत होना बताते हुये, विवादित आराजी में अपना कोई हिस्सा नहीं होना अंकित करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवदेन किया है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय दिनांक 15.06.2017 अपास्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत एवं बोलता हुआ आदेश पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.01.2022 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07-12-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर